

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 613]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2020 — अग्रहायण 10, शक 1942

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 1 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-2/8/2013/नौ/55/तीन.— राज्य शासन एतद् द्वारा विभाग अंतर्गत प्रदेश के आयुर्वेद महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु “छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा प्रवेश नियम, 2019” में निम्नलिखित संशोधन करता है। अर्थात्

संशोधन

उक्त नियम में :-

01. नियम (2) के उपनियम 2.3 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :-

2.3 “श्रेणी” से अभिप्रेत है, पांच में से कोई एक श्रेणी अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) तथा अनारक्षित श्रेणी।

02. नियम (4) के उपनियम 4.5 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :-

4.5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर), श्रेणी के होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को शासन द्वारा प्राधिकृत, सक्षम अधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

03. नियम (4) के उपनियम 4.6 के छठवें पंक्ति में (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के पश्चात् तथा ई.डब्ल्यू.एस.(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) अन्तःस्थापित किया जाता है।

04. नियम (5) के उपनियम 5.9 के द्वितीय पंक्ति में “नियमित शासकीय चिकित्सा अधिकारियों में से” के पश्चात् शब्द “प्रत्येक श्रेणी के” तथा “अधिकतम” के पश्चात् अंक एवं शब्द “3 (तीन)” अन्तःस्थापित किया जाता है।

05. नियम (9) के उपनियम 9.2 एवं 9.3 को विलोपित किया जाता है।
06. नियम (10) के उपनियम 10.1 की अंतिम पंक्ति में "कार्यवाही की जावेगी।" के पश्चात् निम्नांकित नवीन प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाती हैं :-
- "छत्तीसगढ़ राज्य के आयुर्वेद महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध सीटों में प्रवेश के इच्छुक प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.) में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों से संचालक आयुष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। प्राप्त आवेदनों की प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.) की प्रावीण्यता के आधार पर सूची तैयार की जायेगी। इस हेतु यथासमय विज्ञप्ति जारी की जायेगी।"
07. नियम (10) के उपनियम 10.4 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात:-
1. अनारक्षित
 2. ई.डब्ल्यू.एस.
 3. अनुसूचित जनजाति
 4. अनुसूचित जाति
 5. अन्य पिछड़ा वर्ग
 6. शासकीय सेवक
08. नियम (11) के उपनियम 11.3 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात:-
- "11.3 प्रत्येक प्रवेशित अभ्यर्थी को नियमानुसार शासन/महाविद्यालयीन स्वशासी समिति द्वारा समय-समय पर श्रेणीवार छूट सहित निर्धारित सुरक्षानिधि की राशि जमा करना होगा, जो उसे पाठ्यक्रम अवधि पूर्ण होने पर वापस कर दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी बीच में पाठ्यक्रम छोड़ देता है, तो उसकी सुरक्षा राशि राजसात कर ली जावेगी।"
09. नियम (11) के उपनियम 11.5 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात:-
- "11.5 सेवारत अभ्यर्थी सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश के समय और उसके पश्चात् शासन/ महाविद्यालय के स्वशासी समिति द्वारा निर्धारित शुल्क नियमित रूप से भुगतान करना होगा।"
10. नियम (13) के पश्चात् नियम (13)क निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता है, अर्थात :-
- (13) क. "आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित काउंसिलिंग तिथि, प्रक्रिया, न्यूनतम अर्हताकारी प्राप्तांक तथा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश एवं संशोधन समयावधि में प्राप्त होने पर लागू किये जायेंगे।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी पिल्ले, अपर मुख्य सचिव.